B- IV.
L - 18
Economy

15 वाँ वित्त आयोग और लम्बवत असंतुलन :-

15 वाँ वित्त आयोग (2021-26) द्वारा इस बात का सुझाव दिया गया कि केन्द्र अपने द्वारा लगाये गए और वसूले जाने वाले करों का कम से कम 41% भाग राज्यों को हस्तांतरित करे।

उपर्युक्त के अलावा, आयोग द्वारा ₹ 10,33,062 करोड़ के वैधानिक अनुदानों का सुझाव भी दिया गया।

केन्द्रीय करों में 41% हिस्से का अनुमान ₹ 42,24,760 करोड़ पर लगाया गया है। इस प्रकार लम्बवत असंतुलन को दूर करने के लिए कुल Resources transfer ₹ 52,57,822 करोड़ का अनुमानित है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से की भूमिका 80.35% तथा वैधानिक अनुदानों की भूमिका 19.65% है।

15वाँ वित्त आयोग और क्षैतिज असंतुलन :-

15वें वित्त आयोग द्वारा क्षैतिज असंतुलन दूर करने के संबंध में निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है -

मानक	वजन
1- जनसंख्या	15 %
2. Demographic Performance	12.5 %
3. Income distance	45 %
4. Area	15 %
5. Tax effort	2.5 %
6. Forest and ecology	10 %
	100 %

TFR = Total Fertility Rate

Note :-

15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष - श्री एन. के सिंह

16 वाँ वित्त आयोग :-

सरकार द्वारा श्री अरविन्द पानगढ़िया की अध्यक्षता में 16 वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है।

GST Goods and Service Tax

वस्तु और सेवा कर

प्रस्तावना :-

भारत में 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। इसमें कई प्रकार के केन्द्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके एक राष्ट्र-एक कर के दर्शन को लागू करने की कोशिश की गयी है। यह सहकारी संघवाद का एक बड़ा उदाहरण है।

GST मूलतः VAT (Value addition Tax) होता है और इस प्रकार, यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के दौरान किये जाने वाले मूल्य संवर्द्धन (Value addition) को अंतिम रूप से लक्ष्य बनाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि GST को किसी भी लेन देन (जो Taxable है) के सम्पूर्ण मूल्य पर आरोपित किया जाता है लेकिन उत्पादकों, व्यापारियों आदि को ITC (Input Tax-Credit) का लाभ दिया जाता है जिसके कारण वह VAT जैसा हो जाता है।

उपभोक्ताओं को ITC का लाभ नहीं दिया जाता है।

ITC के अन्तर्गत उत्पादकों, व्यापारियों आदि को Inputs (आगत) पर दिए गए कर या तो वापस लौटा दिये जाते हैं या उन्हे offset (समायोजित) करने की छूट दे दी जाती है.

A	B	Consumer
↓	↓	₹ 110
(i) मूल्य = ₹ 80	1 मूल्य ₹ 100	
(ii) GST 10% ₹ 8	2 10% = ₹ 10	
Total - ₹ 88	Total - ₹ 110	

Gross tax Liability (B) - ₹ 10

(-) ITC - ₹ 8

Net Tax Liability = ₹ 2

GST के संभावित लाभ :-

1. Cascading effect समाप्त हो जाता है अर्थात पीछे की अवस्थाओं पर लगे कर आगे की अवस्थाओं पर नहीं आते हैं।